

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 719] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 12, 2019/अग्रहायण 21, 1941 No. 719] NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 12, 2019/AGRAHAYANA 21, 1941

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 दिसम्बर, 2019

सा.का.नि. 912(अ).—केन्द्रीय सरकार, सरकारी बचत संवर्धन अधिनियम, 1873 (1873 का 5) की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियमों को तात्कालिक प्रभाव से विखंडित करती है, अर्थात् :-

- (i) सा.का.नि. सं. 663(अ), तारीख 17 दिसंबर, 1981 द्वारा प्रकाशित डाकघर बचत खाता नियम, 1981;
- (ii) सा.का.नि. सं. 664(अ), तारीख 17 दिसंबर, 1981 द्वारा प्रकाशित राष्ट्रीय बचत सावधि जमा नियम, 1981;
- (iii) सा.का.नि. सं. 666(अ), तारीख 17 दिसंबर, 1981 द्वारा प्रकाशित राष्ट्रीय बचत आवर्ती जमा नियम, 1981;
- (iv) सा.का.नि. सं. 701(अ), तारीख 10 अगस्त, 1987 द्वारा प्रकाशित राष्ट्रीय बचत (मासिक आय खाता) नियम, 1987:
- (v) सा.का.नि. सं. 496(अ), तारीख 1 मई, 1989 द्वा्रा प्रकाशित राष्ट्रीय बचत-पत्र (सातवां निर्गम) नियम, 1989;
- (vi) सा.का.नि. सं. 490(अ), तारीख 2 अगस्त, 2004, द्वारा प्रकाशित वरिष्ठ नागरिक बचत स्कीम नियम, 2004;
- (vii) सा.का.नि. सं. 705 (अ), तारीख 23 सितंबर, 2014 द्वारा प्रकाशित किसान विकास पत्र नियम, 2014;
- (viii) सा.का.नि. सं. 323(अ), तारीख 18 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित सुकन्या समृद्धि खाता नियम, 2016: परंतु ऐसी सुस्ती,-
- (i) उक्त नियमों के पूर्व प्रचालन या कुछ किया गया है या करने का लोप किया गया है या उसमें सहन किया गया हो ; या

6395 GI/2019 (1)

[भाग II-खण्ड 3(i)] भारत का राजपत्र : असाधारण 123

Particulars of Account

Account number	Date	Name of Account office	Amount

The authority mentioned above has agreed to accept the pledge. A pledge acceptance duly signed by the competent authority as pledgee is attached.

Dated:		Sign	Signature of account holder(s)/guardian		
		Add	dress		
For	office use o	nly			
Account number and number and Passbook/deposit receipt/statement of account har holder.	l necessary		have been	marked in	

Signature of Post Master/Manager

Seal

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 दिसम्बर, 2019

सा.का.नि. 920(अ).— केन्द्रीय सरकार, सरकारी बचत संवर्धन अधिनियम, 1873 (1873 का 5) की धारा 3क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित स्कीम बनाती है, अर्थात:-

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ: (1.) इस स्कीम का संक्षिप्त नाम किसान विकास पत्र स्कीम, 2019 है।
- (2.) यह राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी।
- 2. परिभाषा:
- (1) इस स्कीम में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,
- (क) "खाता" से इस स्कीम के अधीन खोला गया खाता अभिप्रेत है;
- (ख) "खाता धारक" से जिसके नाम खाता धारित हो वह व्यष्टि अभिप्रेत है;
- (ग) **''अधिनियम''** से सरकारी बचत संवर्धन अधिनियम 1873 (1873 का 5) अभिप्रेत है;
- (घ) "प्ररूप" से इस स्कीम से संग्लन प्ररूप अभिप्रेत है;
- (ङ) **"साधारण नियम"** से सरकारी बचत संवधन साधारण नियम, 2018 अभिप्रेत है।
- (च) "**वर्ष**"से खाता में राशि जमा करने की तारीख से शुरू होने वाली बारह माह की अवधि अभिप्रेत है।

- (2) यहां जो शब्द और अभिव्यक्ति प्रयुक्त किए गए हैं किंतु परिभाषित नहीं हैं, उनका क्रमसह वही अर्थ होगा जो अधिनियम और सामान्य नियम में दिए गए हैं।
- **3. खातों के प्रकार**-(1) प्ररूप-1 में खाते कार्यालय के लिए किसी आवेदन पर स्कीम के अधीन निम्नलिखित प्रकार के खातो को खोला जा सकेगा; अर्थात्
- (क) एकल धारक प्रकार का खाता;
- (ख) संयुक्त 'क' प्रकार का खाता; और
- (ग) संयुक्त 'ख' प्रकार का खाता।
- (2) (क) एकल प्रकार का खाता किसी वयस्क द्वारा अपने लिए या अवयस्क या विकृत चित्त व्यक्ति के नाम से, जिसका वह अभिभावक है या दस वर्ष की आयु प्राप्त कर चुके अवयस्क द्वारा खोला जा सकता है।
- (ख) संयुक्त 'क' प्रकार का खाता तीन वयस्कों के नाम से संयुक्त रूप से खोला जा सकता है जो संयुक्त रूप से सभी धारकों या उत्तरजीवितों को संदेय होगा।
- (ग) संयुक्त 'ख' प्रकार का खाता तीन वयस्कों के नाम से संयुक्त रूप से खोला जा सकता है जो किसी भी एकधारक या उत्तरजीवितों में से किसी एक को संदेय होगा।
- **4. जमा -**(1) न्यूनतम एक हजार रुपये और इसके बाद एक सौ रुपये के गुणकों में राशि खाते में जमा की जा सकती है।
- (2) खाताधारक के खाते या खातों में जमा के लिए कोई अधिकतम सीमा नहीं है।
- (3) व्यष्टि अनेक खाते खोल सकता है।
- **5. परिपक्वता की अवधि** (1) खाते में जमा की गई राशि परिपक्वता पर दोगुनी हो जाएगी किसी खाते की परिपक्वता की अवधि नौ वर्ष और जमा करने की तारीख के आरम्भ से पांच माह होगी। परिपक्वता की राशि कार्यालय खाते में प्रस्तुत किए जाने वाली प्ररूप-2 में किसी आवेदन पर खाते धारक को पुर्नसंदाय की जा सकेगी।
- (2) इस स्कीम के अधीन जमा की परिपक्वता अवधि का निर्धारण खाता खोलने के समय लागू ब्याज दर के आधार पर लगाया जाएगा।
- **6. परिपक्वतापूर्व खाता बंद करना-** (1) निम्नलिखित परिस्थितियों को छोड़कर परिपक्वता से पूर्व किसी भी समय खाता कार्यालय के प्ररूप-3 में किसी आवेदन को करके खाता धारक द्वारा परिपक्वता पूर्व खाता बंद किया जा सकता है, अर्थात्:
 - (क) एकल खाते में खाता धारक या संयुक्त खाते में किसी एक अथवा सभी खाता धारकों की मृत्यु होने पर;
 - (ख) गिरवीकार द्वारा राजपत्रित सरकारी अधिकारी होने के नाते समपहरण किए जाने पर;
 - (ग) न्यायालय के आदेश पर।
- (2) उप-पैरा (1) के अधीन खाता बंद होने पर पूरे महीनों के लिए समय-समय पर डाकघर बचत खाता के लिए लागू दर पर की गई गणना को साधारण ब्याज के साथ मूलधन को, जिसमें खाता धारित हो,संदाय किया जाएगा।
- (3) उप-पैरा (2) अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए, यदि खाता खोलने की तारीख से दो वर्ष छह मास के अवसान के पश्चातखाता बंद किया जाता है, ब्याज सहित रकम को नीचे दि गई सारणी में यथा निर्दिष्ट रूप से संदेय की जाएगी।

1,000 रुपये के साथ अधिसूचना की तारीख को या उसके पश्चात परिपवक्तापूर्व खाते की मूल्य को दर्शित करने वाली सारणी सारणी

वह अवधि जिस तारीख को खाते की परिपवक्तापूर्व बन्द करने की तारीख	ब्याज सहित देय राशि (रुपये)
(1)	(2)
दो वर्ष और छह मास किंतु तीन वर्ष से कम	1173
तीन वर्ष किंतु तीन वर्ष और छह मास से कम	1211
तीन वर्ष और छह मास किंतु चार वर्ष से कम	1251
चार वर्ष किंतु चार वर्ष और छह मास से कम	1291
चार वर्ष और छह मास किंतु पांच वर्ष से कम	1333
पांच वर्ष किंतु पांच वर्ष और छह मास से कम	1377
पांच वर्ष और छह मास किंतु छह वर्ष से कम	1421
छह वर्ष किंतु छह वर्ष और छह मास से कम	1467
छह वर्ष और छह मास किंतु सात वर्ष से कम	1515
सात वर्ष किंतु सात वर्ष और छह मास से कम	1564
सात वर्ष और छह मास किंतु आठ वर्ष से कम	1615
आठ वर्ष किंतु आठ वर्ष और छह मास से कम	1667
आठ वर्ष और छह मास किंतु नौ वर्ष से कम	1722
नौ वर्ष किंतु प्रमाणपत्र की परिपक्वता से पूर्व	1778
प्रमाणपत्र की परिपक्वता पर	2000

- 7. **खाता गिरवी रखना** गिरवी रखने वाले के स्वीकृति पत्र के समर्थन में प्ररूप-4 में जमाकर्ता द्वारा किए गए आवेदन पर किसी खाते को गिरवी रखा जा सकता है या प्रतिभूति के रूप में स्थानांतरित किया जा सकता है।
 - (2). इस स्कीम के अधीन खाते का अंतरण निम्न अनुसार किया जाएगा –
 - (क) भारत के राष्ट्रपति या अपनी शासकीय हैसियत में राज्य के राज्यपाल;
 - (ख) भारतीय रिज़र्व बैंक या एक सहकारी बैंक सहित एक अनुसूचित बैंक या एक सहकारी समिति;
 - (ग) एक सार्वजनिक या निजी निगम या एक सरकारी कंपनी;
 - (घ) एक स्थानीय प्राधिकरण; या
 - (ड) राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा अनुमोदित और केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी:

परंतु यह कि अवयस्क या विकृत चित्त व्यक्ति की ओर से खोले गए खाते के स्थानांतरण को इस स्कीम के अधीन तब तक नहीं अनुज्ञात की जाएगी, जब तक कि अवयस्क का अभिभावक या विकृत चित्त व्यक्ति, यथास्थिति, लिखित रूप में प्रमाणित करता है कि अवयस्क या विकृत चित्त व्यक्ति जीवित है और यह कि स्थानांतरण अवयस्क या विकृत चित्त व्यक्ति के लाभ के लिए है।

- (3) जब किसी भी खाते को उप-पैरा (1) के अधीन प्रतिभूति के रूप में स्थानांतरित किया जाता है, तो प्राधिकृत अधिकारी, बचत प्रमाणपत्र सहित खाते के अभिलेख में निम्नलिखित पृष्ठांकित करेगा, : -
- "...... प्रतिभृति के रूप में स्थानांतरण"।
- (4) इस स्कीम में जैसा उपबंधित है उसके सिवाय इस पैरा के अधीन किसी खाते का अंतरण कर्ता तब तक किया जाएगा, जब तक कि इसे उप-पैरा (5) के अधीन वापस स्थानांतरित नहीं किया जाता है, जमाकर्ता माना जाता है।
- (5) इस स्कीम के अधीन अंतरण किया गया एक खाता, अंतरण कर्ता के लिखित प्राधिकार पर, प्राधिकृत अधिकारी के लिखित पूर्व अनुमोदन के साथ वापस पुन:स्थानांतिरत किया जा सकता है और जब कोई भी कोई इस प्रकार का स्थानांतरण किया जाता है, तो लेखा कार्यालय का प्राधिकृत अधिकारी प्रमाण पत्र सहित, खाते के अभिलेख में निम्नलिखित पृष्ठािकत करेगा: -
- " ... में पुन:स्थानांतरित कर दिया"।
- (6) एक नेत्रहीन व्यक्ति या शारीरिक अंग-शैथिल्य वाला व्यक्ति जो खाता संचालित करने में असमर्थ है, वह किसी भी साक्षर व्यक्ति के माध्यम से अपनी जमा राशि को गिरवी रख सकता है जिसे वह इस प्रयोजन के लिए प्राधिकृत करता है।
- **8. खाता का अंतरण** :-एक व्यष्टि से अन्य दूसरे को खाता का अंतरण इस शर्त के अध्यधीन होगा कि अंतरण कर्ता निम्नलिखित मामलों में, इस स्कीम के अधीन खाता खोलने का पात्र हो, अर्थात्:
 - (i) एकल खाता के मामले में खाताधारक की मृत्यु होने पर अथवा संयुक्त खाता में सभी खाताधारकों की मृत्यु होने पर, राशि विधिक उत्तराधिकारियों या नामनिर्देशितों, यथास्थिति को स्थानांतरित की जाएगी।
 - (ii) न्यायालय के आदेश पर, खाताधारक से न्यायालय अथवा न्यायालय के आदेश के अनुसार किसी अन्य व्यष्टि को स्थानांतरित किया जाएगा;
 - (iii) गिरवी रखने पर, खाता पैरा-7 के अनुसार स्थानांतरित किया जाएगा;
 - (iv) संयुक्त खाते में किसी भी खाताधारक की मृत्यु हो जाने की दशा में, उत्तरजीवित खाताधारक या खाताधारकों, यथास्थिति, के नाम पर स्थानांतरित होगा।
- 9. खाता धारक की मृत्यु होने पर संदाय-(1) एकल खाता में खाताधारक की या संयुक्त खाता में सभी खाताधारकों की मृत्यु होने पर नामनिर्देशिती को यदि नामनिर्देशन विद्यमान है या उसके विधिक वारिस (वारिसों) को जमा किया जाएगा।
- (2) जहां तीन से अधिक उत्तरजीवित नामनिर्देशिती या विधिक वारिस नहीं है, तो वे, अपनी विकल्प से खाता जारी रख सकते हैं और इस स्कीम में उपबंध की गई रीति में परिपक्वता पर ब्याज सहित जमा राशि को प्राप्त कर सकते हैं, जैसे की यदि वे खाता उन्होंने स्वयं खोला था।
- (3) जहां उप-पैरा (2) के अधीन खाता जारी नहीं रखा जाता है, तो उसे बंद कर दिया जाएगा और पैरा 6 में उपबंध के अनुसार खाते में बकाया जमाराशि का ब्याज सहित पुनर्भुगतान किया जाएगा।
- (4) संयुक्त खाते में एक अथवा दो खाताधारकों की मृत्यु होने पर, उत्तरजीवित खाताधारक(कों) को खाता का स्वामी माना जाएगा और वे खाताधारक उप-पैरा (2) के अधीन खाता जारी रख सकते हैं या उप-पैरा (3) के तहत इसको बंद कर सकते हैं।

[भाग II-खण्ड 3(i)] भारत का राजपत्र : असाधारण 127

- 10. साधारण नियम का लागू होना साधारण नियम के उपबंध,उन मामलों के संबंध में भी लागू होगें, जिनके लिए इस स्कीम में कोई उपबंध नहीं किए गए हैं।
- 11. खूट देने की शक्ति जहां केंद्रीय सरकार इस बात से संतुष्ट होती है कि इस स्कीम के किसी उपबंध के प्रचालन से खाताधारक को अनावश्यक कठिनाई का सामना करना पड़ता है, लिखित रूप में अभिलेख करते हुए इसके कारणों के लिए आदेश द्वारा अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के लिए जो असंगत न हो उस रीति मे उस उपबंध से छूट दे सकती है।

[फा. सं. 2/2/2018 एनएस(भाग-I)] रजत कुमार मिश्रा, संयुक्त सचिव

प्ररूप-1 [पैरा 1 का उप पैरा (1) देखें) (खाता खोलने के लिए आवेदन

(खाता ख	गोलने के लिए आवेदन)
सेवा में	
पोस्टमास्टर / प्रबंधक	
	आवेदक/आवेदकों की फोटो चिपकाएँ
	,
महोदय ,	
	वक), आपके डाकघर / बैंक में किसान विकास पत्र स्कीम के अधीन एक
खाताखोलने के लिए आवेदन करते हैं ।	
मै/हमपारंभिक जमा के रूप में तारीख	
में(रु) निविदा करते है। मेरी / हमारे 4	विवरण इस प्रकार ह
1. प्रथम जमाकर्ता	
पति/पिता/माता का नाम या न्यायालय द्वारा नियुक्त आ	मेभावक का नाम
जन्म तिथि	
	(तारीख़ / मास / वर्ष)
	(शब्दों में)
	(, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
2. दूसरा जमाकर्ता	
पति / पिता / माता का नाम	
जन्म तिथि	
	(तारीख़ / मास / वर्ष))
	(शब्दों में)

3.	तीसरा जमाकर्ता	
	पति/पिता/ माता का का नाम	
	जन्म तिथि	
		(तारीख़ / मास / वर्ष))
		(शब्दों में)
4.	अवयस्क / विकृत चित्त खाता धारक के व्यक्ति का ना	ाम
	पिता /माता / अभिभावक का नाम	
	जन्म तिथि	
		(तारीख़ / मास / वर्ष))
		(शब्दों में)
5.	खाताधारक(खाताधारकों) की आधार संख्या	
6.	खाताधारक (खाताधारकों) का स्थायी खाता संख्या	(पैन)
7.	वर्तमान पता	
	स्थायी पता	
8.₹	नंपर्क विवरण टेलीफ़ोन का	नंबर
		मोबाइलनंबर
		ईमेल
		ગા ર્ટ ક ી

9. खाता का प्रकार	प्राधिकृत व्यक्ति के माध्यम से या विकृत चित्त	या नेत्रहीन या
निशक्त व्यक्ति के लिए अभिभावक के माध्यम से	या एकल या संयुक्त ।	
10.(*)अवयस्क की जन्मतिथि का विवरण		•••
(अवयस्क के खाते के मामले में लागू)		
क) प्रमाण पत्र नं.		
 ख) जारी करने की तिथि		
ग) जारी करने वाला प्राधिकरण		
11.(*) अभिभावक का नाम(प्राकृतिक/विधिक)		
(यदि खाता अवयस्क/ विकृत चित्त व्यक्ति		
की ओर से खोला जाता है)		
12. केवाईसी के अन्य दस्तावेजों का विवरण संल	ग्न 1. पहचान का प्रमाण	
	2. पते का सबूत	
, ,, ,, ,,		~ ~ ~ ~ ~ ~
	खित दस्तावेजों को आधिकारिक रूप से वैध दस्तावे चरि २ , प्रवत्यान प्रवचान एक ४ , रोग्य वर्षा स्टब्स	
·	ज्ञप्ति 3. मतदाता पहचान पत्र 4. नरेगा द्वारा राज्य स्थान पत्रे के जिल्लाम को अंक्टील करने हम समी	
द्वारा हस्ताक्षारत जारा जाब काड 5. नाम द्वारा जारी किया गया पत्र;	। और पते के विवरण को अंतर्विष्ट करते हुए राष्ट्री	य जनसंख्या राजस्टर
द्वारा जारा किया गया पत्र, 13. खाते का संचालन होगा:-	(a) सभी धारकों द्वारा एक साथ	
ाउ. खात का संचालन हागा:- या जीवित धारक/धारकों ।	(a) समा बारका द्वारा एक साथ	
(संयुक्त खाते के मामले में)	(b) धारक/धारकों, या जीवित	
जमाकर्ता/ जमाकर्ताओं के द्वारा,	(=)	
14. मेरा/हमारा नमूना हस्ताक्षर		
12	3.,	
(नाम)		
12		
(नाम)		
1 2		
(नाम)		

1		2		3.		
(=	ताम)					
मैं	समय-समय जारी कि	ए गए संशोधनों और र्स् <u>क</u>	ोम पर लाग सरव	जरी बचत संवर्धन	नियमों -2018	और स्कीम के
	ों को जारी करता हूं।.	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,				
			खाता	धारक/अभिभावक वे	के हस्ताक्षर या अ	ांगुठे का निशान
					तारीख :	• .
			नामनिर्देशन			
16.	मै/हम				नीचे उ	ल्लेखित व्यक्ति
(व्यक्ति	ज्यों) को नामनिर्देशित क	रते हैं, जिन्हें मेरी मृत्यु र्क	ो स्थिति में अन्य स	नभी व्यक्तियों को बा	हर करने की रा	शि मेरे पास है
मेरी मृ	त्यु के समय किसान विव	ास पत्र स्कीम <mark>में ऋण दे</mark> य				
क्र.सं.	का नाम (पते) और	पूरा पता (पते)	नामनिर्देशिती का आधार	अवयस्क के मामले में	पात्रता का हिस्सा	पात्रता की प्रकृति (न्यास
	संबंध		, नंबर , , ,	नामनिर्देशित		कर्ता या
			(वैकल्पिक)	व्यक्ति की जन्म तिथि		स्वामी)
1						
2						
3						
4						
क्रम	संख्या	पर नामनिर्देशिती(ओं)	के रूप में			ऊपर
वर्णितः		ोमती/कुमारी'				
						•
		तहत राशि प्राप्त करता है		(***)		
2. गव	ाह के हस्ताक्षर					
, ,				धारक/अभिभावक वे	के हस्ताक्षर या अ	ांगूठे का निशान
स्थान						
ता रीख	г.					

[भाग II-खण्ड 3(i)]	भारत का राजपत्र : असाधारण	131
	पोस्ट ऑफिस/बैंक के उपयोग के लि	ोए
खाते को	के नाम पर तारीख	खाता संदारा (स्कीम का
नाम)र	पये के आरंभीक जमा के साथको	खोला गया है।
ग्राहक पहचान संख्या		
नामांकन को तारीख स	नंख्या द्वारा रजिस्ट्रीकृत किया गया है।	
		सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर और मुहर।
	प्ररूप-2	
	[पैरा 5 के उप-पैरा (1) देखें]	
	(खाता बंद करने के लिए आवेदन)
डाकघर/बैंक का नाम		
तारीख	_	
खाता संख्या		
1. मैं / हम इसके बाद पास बुक / ज	मा रसीद जमा करते हैं और	पर परिपक्व मेरे / हमारे उपर्युक्त खाते
को बंद करने के लिए आवेदन करते	हैं।	
्र समाम मेरे मिमक खाने में मान	ोच मधि का शेम	(खाता कार्यालय का नाम) पर खड़े मेरे
एसबी खाता संख्या		(खाला कावालव का गान) वर खड़ नर
एसबा खाता सख्या	બા દા	
	या	
कृपया डिमांड ड्राफ्ट / अकाउंट पेयी	चेक जारी करें	
	या	
कृपया नकद में भुगतान करें (यदि रा	ाशि अनुमेय सीमा से कम है तो लागू).	
* प्रमाणित किया जाता है कि ख	ाते में आयोजित राशि	के उपयोग के लिए

आवश्यक है, जो जीवित है और अभी भी अवयस्क है।

खाता धारक/ अभिभावक के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान (अंगूठे के निशान को लेखा कार्यालय में जाने वाले व्यक्ति द्वारा सत्यापित किया जाना चाहिए)

भुगतान आदेश (केवल कार्यालय उपयोग के लिए)

मल राशि रुपये.	भुगतान का विवरण	
<u> </u>		
(+)ब्याज देय रुपये		
(-)ओवरपेड व्याज की वसूली	रुपये	
यदि कोई कटौती है		रुपये
देय कुल राशि		_रुपये
भुगतान	रुपये (आंकड़ों में)	(शब्दों में)
स्थान : तारीख :		
	पोस्टमास्टर	र/मैनेजर के हस्ताक्षर
	निस्तारण	
नकद/चेक/डीडीबियरिंग	(जमाकर्ता द्वारा भरा जाना है)	सं
च चन्या अचन्य छ। छ। । अथा ८ च		l
नहीं		
तारीख	खाताधारक/अभिभावक का हस्ताक्षर/अंगूठे का निः	शान

प्ररूप-3

[पैरा 6 के उप-पैरा (1) देखें] (खाता परिपवक्ता पूर्व बंद करने के लिए आवेदन)

सेवा में,
पोस्टमास्टर/प्रबंधक
महोदय,
 मैं / हम नीचे दिए गए ब्यौरे के अनुसार लागू जुर्माने की कौटती के पश्चात रकम को देने के लिए
और किसान विकास पत्र स्कीम के अधीन खोले गए ((केवल रुपए)
का संतुलन को परिपवक्ता पूर्व मेरे / हमारे खाता संख्या (
बंद करने की आशा करते है :-
कृपया मेरे एसबी खाता संख्या को को
(खाता कार्यालय का नाम) पर राशि का श्रेय दें।
या
कृपया डिमांड ड्राफ्ट / आदाता खाता चेक जारी करें
या
कृपया नकद में भुगतान करें (लागू है यदि राशि अनुमेय सीमा से कम है)
 मैं / हम इसके माध्यम से घोषणा करते हैं कि किसानविकास योजना योजना के तहत जिन शर्तों के तहत खाते को परिपक्वता से पहले बंद किया जा सकता है, उनका अनुपालन किया गया है।
* प्रमाणित है, कि खाते में रखी गई राशि का उपयोगपल उस
पल झुलसने के लिए आवश्यक है.
नारीक । खानाशास्त्र का नानाथर गा शंगरे का निवास / शुक्तिवासक
तारीख :- खाताधारक का हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान / अभिभावक

(जमाकर्ता के अंगूठे का निशान लेखा कार्यालय में जाने वाले व्यक्ति द्वारा सत्यापित किया जाना चाहिए)

केवल कार्यालय उपयोग के लिए भुगतान का विवरण

खाते में पात्र शेष `	
कम जुर्माना राशि `	
कुल राशि का भुगतान किया जाना है `	_ (आंकड़ों में)
(शब्दों में)	
तारीख स्टाम्प पोस्टमास्टर/मैनेजर के हस्ताक्षर	
निस्तारण (जमाकर्ता द्वारा भरा जाना है)	
नकद/चेक/डीडीबियरिंग सं नहीं तारीख खाताधारक/अभिभावक का हस्त	
प्ररूप-4	
[पैरा 7 देखें]	
(खाता को गिरवी रखने के लिए आवेदन) सेवा में,	
पोस्टमास्टर/प्रबंधक	
महोदय,	
1. मैं / हम (सरकार के ज्या अनुसूचित बैंक, सहकारी बैंक, रजिस्ट्रकृत सहकारी सिम स्थानीय प्राधिकरण) क साथ प्रतिभूती के रूप में रुपये	ति, निगम, एक सरकारी कंपनी या

प्रतिभूति के रूप में गिरवी र	खा जा रहा है।)	के पक्ष में प्रतिभूति के रूप	शाखा का नाम आदि जिसमें खाता में राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (VIII	
जारा) क अधान	खाता संख्या में जमा को	अन्तारत का अनुराध करत ह		
	खाते व	का विवरण		
खाता संख्या	तारीख	खाता कार्यालय का नाम	राशि	
ऊपर उल्लिखित प्राधिकरण ने	प्रतिज्ञा को स्वीकार करने के वि	लेए सहमति व्यक्त की है। प्रतिज्ञ	ा के रूप में सक्षम प्राधिकारी द्वारा	
हस्ताक्षरित प्रतिज्ञा स्वीकृति स	ांलग्न है।			
तारीख:		खाते के हस्ताक्षर	र धारक	
(एस) /अभिभावक				
	केवल कार्याल	य उपयोग के लिए		
खाता संख्या	को पंजीकरण संख्य	Т	दिनांकित	
	ाताधारक को वापस कर दिया	· -		
			पोस्ट मास्टर/मैनेजर के हस्ताक्षर सील	

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th December, 2019

- **G.S.R. 920(E).**—In exercise of the powers conferred by section 3A of the Government Savings Promotion Act, 1873 (5 of 1873), the Central Government hereby makes the following Scheme, namely:-
- **1. Short title and commencement.-** (1) This Scheme may be called the Kisan Vikas Patra Scheme, 2019.
- (2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.
- **2. Definitions.-**(1) In this Scheme, unless the context otherwise requires,-
 - (a) "account" means an account opened under this Scheme;
 - (b) "account holder" means an individual in whose name the account is held;
 - (c) "Act" means The Government Savings Promotion Act, 1873 (5 of 1873);
 - (d) "Form" means forms appended to this Scheme;
 - (e) "General Rules" means the Government Savings Promotion General Rules, 2018;
 - (f) "year" means a period of twelve months commencing from the date of deposit in the account.
- (2) Words and expressions used herein but not defined shall have the meanings respectively assigned to them in the Act and the General Rules.
- **Type of accounts.-** (1) On an application to the accounts office in Form-1, the following types of accounts can be opened under the Scheme, namely:-
 - (a) Single Holder Type Account;
 - (b) Joint A- Type Account; and
 - (c) Joint B- Type Account.

- (2) (a) A Single Holder Type Account may be opened by an adult for himself, or on behalf of a minor or a person of unsound mind of whom he is the guardian, or by a minor who has attained the age of ten years;
 - (b) Joint A-Type Account may be opened jointly in the names of upto three adults payable to all the account holders jointly or to the survivors;
 - (c) Joint B-Type Account may be opened jointly in the name of upto three adults payable to any of the account holders or to the survivor or survivors.
- **4. Deposits.** (1) A minimum of one thousand rupees and any sum in multiples of one hundred rupees may be deposited in an account.
- (2) There shall be no maximum limit for deposit in an account or in accounts held by an account holder.
- (3) An individual may open any number of accounts.
- **5. Payment on maturity.-** (1) Deposits made in the account shall double on maturity. Maturity period of an account shall be nine years and five months commencing on the date of deposit. Amount of maturity may be repaid to the account holder on an application in Form-2 submitted to the accounts office.
- (2) The maturity period of the deposit under this Scheme shall be determined on the rate of interest applicable at the time of opening the account.
- **6. Premature closure of account.-** (1) The account may be prematurely closed by the account holder by making an application in Form-3 to the accounts office, at any time before maturity under the following circumstances, namely:-
- (a) on the death of the account holder in a single account, or any or all the account holders in a joint account;
- (b) on forfeiture by a pledgee, being a Gazetted Officer;
- (c) when ordered by a court.
- (2) On the closure of the account under sub-paragraph (1), principal amount alongwith simple interest calculated at the rate applicable from time to time to Post Office Savings Account for the complete months for which the account has been held, shall be payable.
- (3) Notwithstanding anything contained in sub-paragraph (2), if an account is closed any time after the expiry of two years and six months from the date of opening of the account, the amount, inclusive of interest shall be payable as specified in the table below:-

(Table showing premature closure value of account opened on or after date of notification with 1,000 rupees)

TABLE

Period from the date of the account to the date of its pre-mature closure	Amount payable inclusive of interest (Rupees)
(1)	(2)
Two and half years but less than three years	1173
Three years but less than three and half years	1211
Three and half years but less than four years	1251
Four years but less than four and half years	1291
Four and half years but less than five years	1333
Five years but less than five and half years	1377
Five and half years but less than six years	1421
Six years but less than six and half years	1467
Six and half years but less than seven years	1515

Seven years but less than seven and half years	1564
Seven and half years but less than eight years	1615
Eight years but less than eight and half years	1667
Eight and half years but less than nine years	1722
Nine years but before Maturity of Certificate	1778
On maturity of certificate	2000

- **7. Pledging of account.-** (1) An account may be pledged or transferred as security, on an application made by the depositor in Form-4 supported with acceptance letter from the pledgee.
- (2) Transfer of an account under this Scheme may be made to-
 - (a) the President of India or the Governor of a State in his official capacity;
 - (b) the Reserve Bank of India or a Scheduled Bank or a Cooperative Society, including a Co-operative Bank;
 - (c) a public or private corporation or a Government company;
 - (d) a local authority; or
 - (e) a housing finance company approved by the National Housing Bank and notified by the Central Government:

Provided that the transfer of an account opened on behalf of a minor or a person of unsound mind shall not be permitted under this Scheme unless the guardian of the minor or the person of unsound mind, as the case may be, certifies in writing that the minor or the person of unsound mind, as the case may be, is alive and that the transfer is for the benefit of the minor or the person of unsound mind.

(3) When any account is transferred as security under sub-paragraph (1), the authorised officer shall make the following endorsement in the record of the Account, including the Savings Certificate, namely:-

"Transferred as security to".

- (4) Except as otherwise provided in this Scheme, the transferee of an account under this paragraph shall, until it is re-transferred back under sub-paragraph (5), be deemed to be the depositor.
- (5) An account transferred under this Scheme may, on written authority of the transferree, be retransferred back with the previous sanction in writing of the authorised officer and when any such retransfer is made, the authorised officer of the accounts office shall make the following endorsement in the record of the account, including certificate, namely:-

"Re-transferred to.....".

- (6) A blind person or a person with physical infirmity making him incapable of operating the account may pledge his deposit through any literate individual whom he authorises for this purpose.
- **8. Transfer of account.-** An account may be transferred from one individual to another, subject to the condition that the transferee is eligible to open an account under this Scheme, in the following cases, namely:-
- (i) on the death of the account holder in case of a single account or on the death of all the account holders in a joint account, the amount shall be transferred to the legal heirs or the nominees, as the case may be;
- (ii) on the order of the court, the account shall be transferred from the account holder to the court or to any other individual as per the orders of the court;
 - (i) on pledging, account shall be transferred in accordance with paragraph 7;
 - (ii) in the event of the death of any of the account holders in a joint account, the account shall be transferred in the name of the surviving account holder or account holders, as the case may be.

- **9. Payment on the death of account holder.-** (1) In the event of death of the depositor of a single account or of all the depositors in a joint account, the deposit shall be payable to the nominee if a nomination exists or to the legal heir(s).
- (2) Where there are not more than three surviving nominees or legal heirs, they may, at their option continue the account and receive the amount of deposit along with interest on maturity in the manner provided for in this scheme, as if they had opened the account themselves.
- (3) Where the account is not continued under sub-paragraph (2), it shall be closed and the amount of deposit along with interest as provided in paragraph 6 shall be repaid.
- (4) On the death of one or two of the account holders in a joint account, the surviving account holder or holders, if any, shall be treated as the owner or owners of the account and such account holder or holders may continue the account under sub-paragraph (2) or close the account under sub-paragraph (3).
- **10. Application of General Rules.-** The provisions of the General Rules shall, so far as may be, apply to this Scheme in relation to the matters for which no provisions have been made herein.
- 11. Power to relax.- Where the Central Government is satisfied that the operation of any of the provisions of this Scheme causes undue hardship to the amount holder, it may be by order, for reasons to be recorded in writing, relax the requirements of that provision in a manner not inconsistent with the provisions of the Act or the rules made thereunder.

[F.No.2/2/2018 NS (Pt.I)]

RAJAT KUMAR MISHRA, Jt. Secy.

FORM - 1 [See sub-paragraph (1) of paragraph 3] (Application for opening an account)

То			Paste
	naster/Manager		photograph of applicant/s
			аррпсаниз
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		•••	
Sir,			
	(accour ikas Patra Scheme in your Post	nt holder(s)/guardian) hereby apply for opening t Office/Bank.	g of an accoun
I/We tender h	nerewith Rs	/-(Rs	
		e as initial deposit. My/our particulars a	
1. Name	of First Depositor		
Husba	.nd/Father /mother's name or gu	uardian appointed by Court	
Date o	of Birth		
		(DD / MM / YYYY)	
•		(In words)	
2. Name	of Second Depositor		
Husba	and/Father /mother's name		
Date o	of Birth		
		(DD / MM / YYYY)	
		(In words)	

3.	Name of Third Depositor							
	Husband/Fath	ner/mother's name						
	Date of Birth		(DD / MM / YYYY) (In words)					
4.	Name of minor/person of unsound mind account holder							
	Father /mothe	er/guardian's name						
	Date of Birth		(DD / MM / YYYY) (In words)					
5.		nber of account holder(s)						
6.		ccount Number (PAN) of						
7.	Present Addre	ess						
	Permanent Ad	ddress						
8.	Contact detai	ls	Telephone Number					
9.	Type of Acco	ount	Single or Joint or through Guardian for Minor or person of unsound mind or blind or differently abled through authorized person.					
10.		date of birth of minor n case of minor account)						
	a)	Certificate No.						
	b)	Date of Issue						
	c)	Issuing authority						
11.	(In case the a	guardian (natural/legal) ccount is opened on behalf of of unsound mind)	a					

		2. Address proof				
	and address proof	f: 1. Passport 2. Dri	ed as officially valid oving license 3. Votes officer 5. Letter issues;	r's ID card 4. J	ob card issued	by NREGA
13.	The operation of the holder/s.	he account will be:-	(a)	By all the holde	ers together or	the surviving
	(In case of joint addepositor/s,	ccount)	(b) By either of th	e holder/s, or	the surviving
14.	My/our specimen	signatures				
	ame)		2	3.,	•••••	
	ame)		2	3		
			2	3		
	ame)		2	3		
2018 a			scheme provisions a nts issued thereto from		Savings Pron	notion rules-
			Signature or thum	b impression of	account holde	r(s)/guardian
					Date:	
			Nomination			
the exc	clusion of all other		hereby nominate t of my death the ame payable.			
S.No.	Name(s) of the nominee(s) and	Full address (s)	Aadhaar number of	Date of birth of nominee	Share of entitlement	Nature of entitlement

S.No.	Name(s) of the nominee(s) and relationship	Full address (s)	Aadhaar number of nominee(optional)	Date of birth of nominee in case of minor	Share of entitlement	Nature of entitlement (Trustee or owner)
1						
2						
3						
4						

appoint	specified above is/are minor(s), I
under the said account in the event of my death during	the minority of the nominee(s).
1. Signature of witness	
Name and Address	
2. Signature of witness	
Name and Address	
Sign	ature or thumb impression of account holder(s)/guardian
Place:	
Date:	
For use of P	ost Office/Bank
	onwith
the scheme) vide Account No	under(name of dated
Customer identification Number	
Nomination has been registered vide No	dated
	Signature and seal of competent authority.
FOI	RM - 2
[See sub-paragrap	h (1) of paragraph 5]
(Application for	closure of account)
Name of Post Office/Bank	Date
Account Number	
I/we hereby submit pass book/deposit re account matured on	ceipt and apply for closure of my/our above mentioned
2. Please credit the amount of eligible bal no standing at	ance in my matured account to my SB Account (Name of account office).
	or
Please issue a Demand Draft/account payee cheque	
	or
Please pay in cash (applicable if the amount is below I	permissible limit).

Date:

*Certified, that the amount held in the account is required for the use ofwho is alive and still a minor.

Signature or thumb impression of account holder(s)/guardian (Thumb impression should be attested by a person known to accounts office)

Signature/thumb impression of account holder(s)/guardian

Payment Order (For office use only) Date Payment detail Principal amount Rs._____ (+) Interest due Rs. (-) Recovery of overpaid interest Rs. Deduction if any Rs_____ Total amount due Rs_____ Pay Rs.______(in figurers)______(in words) Place: Date: Signature of Postmaster/Manager **Acquittance** (to be filled by depositor) Received Rs ._____ (In figures)_____ (in words) By cash/cheque/DD bearing no......dated....../by transfer to Account No......

[भाग II—खण्ड 3(i)] भारत का राजपत्र : असाधारण 143

FORM - 3

[See sub-paragraph (1) of paragraph 6]

(Application for premature closure of account)

To, The Po	ostmaster	/Manager										
	• • • • • • • • • • • •			•••••	•••							
Sir,												
		(I	Rupees			(Only) (opened	under K	Kisan Vika	ving balance of series Patra Schem	of ne
and re	quest you	to pay the	amount aft	er dedu	ction of a	applicabl	e pena	alty as p	er detail	s given be	low:-	
at			e amount								standir	ıg
Dlanca	icena a I	Demand Dr	aft/account	navee c		or						
ricasc	issue a L	Jeniana Dia	arvaccount	payee c	•	or						
Please	pay in ca	ash (applica	ble if the a	mount i	s below p	permissil	ble lim	nit)				
the Ki *Certi	san Vikas	s Patra Schot t the amou	eme have be	en con	nplied wi	th.					e maturity und	
Date:-					Signa	ature or tl	humb	impress	ion of a	ccount hol	der(s)/guardia	1
(Thun	nb impres	sion of the	depositor s	nould b	e attested	d by a per	rson kı	nown to	the acc	ounts offic	ce)	
						ce use or ent detail						
Eligib	le balance	e in accoun	t `									
Less p	enalty an	nount`										
Total a	amount to	be paid`.					(Ir	n figure	es)			
(In wo	ords)											
Date S	Stamp								Signatur 	re of Postn	naster/Manage	ſ
						•44						
					Acqu	iittance						
Receiv	ved Rs					unt holde				cash/cheq	ue/DD bearing	
No.)_			_dated		/by tr	ansfer to	Acco	unt				
No						·						
Place	•											
Date :					Signa	ture/thur	mb imj	pression	of acco	ount holder	r(s)/guardian	

FORM - 4

[See paragraph 7]

(Application for pledging of account)

То			
The Postmaster/Mana			
Sir,			
Rsthe gazetted officer Cooperative Bank, Authority). I/We then under Kisan Vikas Pa	of the Governme Registered Coope refore request you atra Scheme as second	am/are reductive with	(official designation of of India or a Scheduled Bank, overnment company or Local umber
		an be encashed by the pledgee whein the account stands	
		Particulars of Account	
Account number	Date	Name of Account office	Amount
The authority mentio competent authority as	s pledgee is attache	Signature of account h	
		For office use only	
dated ar	nd necessary entrie	has been pledged vide regists have been marked in the record. Pedge and returned to the account hold	assbook/deposit receipt/statement
			Signature of Post Master/Manager Seal

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 दिसम्बर, 2019

सा.का.नि. 921(अ).— केन्द्रीय सरकार, सरकारी बचत संवर्धन अधिनियम, 1873 (1873 का 5) द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित स्कीम बनाती है, अर्थात:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ: (1) इस स्कीम का संक्षिप्त नाम डाकघर बचत खाता स्कीम, 2019 है।